COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

R-4103-PBR/16 प्र. क. / पी.बी.आर. / 2016

सुनील कुमार गुप्ता, आत्मज श्री जी.सी. शाह,
आयु वयस्क, निवासी– मकान नं. 36 सेक्टर-2
शक्ति नगर, भोपाल, म.प्र.-024

आवेदक

विरूद्ध,

(34)

मध्यप्रदश शासन
द्वारा–कलेक्टर जिला भोपाल, म.प्र.

अनावेदक

अभिभाषक श्री.............. द्वारा आज दिनांक 2/11/16 को पेश।
अधीक्षक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण मान. अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल द्वारा प्र.क. 535 / बी–121 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 30.09.16 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4103-पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 30-9-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व आदेश दिनांक 8-8-07 में पुन: संशोधन का अधिकार नहीं होने से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अनुसार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पत्र पर स्वत: उसके द्वारा या उसके पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी का आदेश संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाये । 4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के सम्बन्ध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । मूल आदेश नगर निवेश की अनुमति बावत् 2007 का है, जिसे वर्ष 2016 में इतने विलम्ब से बिना किसी पर्याप्त आधार के संशोधन चाहा गया है, अत: अनुविभागीय अधिकारी को अपने ही आदेश में संशोधन का अधिकार नहीं है । वैसे भी भूमि उपयोग सम्पूर्ण भूमि का ही परिवर्तित माना जायेगा, मात्र निर्मित क्षेत्र का नहीं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	